कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , **Phone/ Fax no:**-01368-222215

पत्रॉकः– 842 / 12-1 **: दिनॉकः पौड़ी, माह, अगस्त,**...14...**2025**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
रा0 मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर।

विषय– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 119/534 किमी0 196.00 से कि0मी0 276.00 सतपुली–श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है0 (पूर्व में 32.553 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रा0रा0, लो0नि0वि0, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन। (Online No:- FP/UK/ROAD/45296/2020).**

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/38/2022/एफ0सी0 दिनॉक 07–08–2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, महोदय उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0–1191/3–5–2, दिनांक 26.03.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 की निर्धारित दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा हैः–

1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण–

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल	–	31.962 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत भूमि का क्षेत्रफल –	–	63.924 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	–	5,43,037.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि– 63.924 x 5,43, 037.00 = **3,47,13,097.00**

(रू0 तीन करोड़ सैंतालीस लाख तेरह हजार सत्तानबे) मात्र

2– एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2011–एफ0सी0, दिनांक 06–01–2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः–

ईको क्लास	–	V^{th}
हरियाली का घनत्व	–	0.4
एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	–	रू0 12,92,850.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	–	31.962 है0
एन0पी0वी0 की धनराशि	–	31.962 X 12,92,850.00 = रू0 4,13,22,071.70

या रू0 4,13,22,072.00

(रू0 चार करोड़ तेरह लाख बाईस हजार बहत्तर) मात्र

उपरोक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं0 8 के अनुसार आपके द्वारा Wildlife Conservation cum Mitigation Plan एवं Soil and Moisture Conservation Plan की धनराशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगीः–

3– उक्त पेयजल योजना के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महोदय उत्तराखण्ड, देहरादून से अनुमोदन के उपरान्त Wildlife Conservation cum Mitigation Plan की धनराशि रू0 – 1,74,95,360.00 **(रू0 एक करोड़ चौहत्तर लाख पिच्चयानब्बे हजार तीन सौ साठ) मात्र।**

P.T.O

Scanned with CamScanner

4– उक्त पेयजल योजना के सापेक्ष वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी से अनुमोदन उपरान्त Soil and Moisture Conservation Plan की धनराशि रू0–41,48,215.00 (रू0 **इकतालीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ पन्द्रह) मात्र।**

अतः आप उक्तानुसार डिमांड नोट की धनराशि मदवार जमा करने पश्चात सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रश्न एवं उत्तर में बनाकर 05 मूल हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय प्रेषित करते हुये ऑन लाईन अपलोड की कार्यवाही पूर्ण करें।

भवदीय,

Sam

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 842 / 12-1 ,दिनॉकित ।

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

Sam

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

(Brijmohan Chauhan 2025 Demand Note Letter.)

Scanned with CamScanner